राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3830/2025

शशिबाला मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर राजस्थान।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैर, बयाना, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.08.2025
आदेश की दिनांक : 12.08.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी.मीणा/के.सी.मीणा, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (भूगोल) के पद पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैर (बयाना) जिला भरतपुर में दिनांक 18.03.2021 (अनुलग्नक–1) के द्वारा नियुक्त किया गया तथा अपीलार्थी ने दिनांक 20.03.2021 (अनुलग्नक–2) को उक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी द्वारा दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.07.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 20.03.2023 से स्थायी कर दिया गया। अपीलार्थी सेवाकाल के दौरान गर्भवती थी और उसने प्रत्यर्थी संख्या 3 को दिनांक 01.08.2024 से 27.01.2025 तक मातृत्व अवकाश पर रहने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया और अपीलार्थी ने दिनांक 16.9.2024 को एक पुत्र को जन्म दिया (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से मातृत्व अवकाश पर थी, लेकिन प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी का अगस्त 2024 का वेतन स्वीकृत नहीं किया है। अपीलार्थी ने वेतन स्वीकृत करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 को दिनांक 17.10.2024 एवं 22.10.2024 (अनुलग्नक–5) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने बिना कोई वैध और न्यायोचित कारण बताए अपीलार्थी का वेतन स्वीकृत नहीं किया। मातृत्व अवकाश लेने के बाद, अपीलार्थी ने 28.01.2025 (अनुलग्नक–6) को कार्यभार ग्रहण किया और संबंधित प्राधिकारी को डिस्चार्ज टिकट और फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। तब से वह निरंतर सेवा प्रदान कर रही है। आरएसआर के नियम

103 के अनुसार, मातृत्व अवकाश, सेवाकाल में दो अवसरों पर, प्रारंभ तिथि से 180 दिनों तक की अवधि के लिए स्वीकार्य है। आरएसआर का नियम 103 इस प्रकार हैः– ''103– मातृत्व अवकाश दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारी को मातृत्व अवकाश प्रारंभ होने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक प्रदान किया जा सकता है। तथापि, यदि दो बार मातृत्व अवकाश लेने के बाद भी कोई जीवित बच्चा नहीं है, तो मातृत्व अवकाश एक और अवसर पर प्रदान किया जा सकता है। ऐसी अवधि के दौरान, वह छुट्टी पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर छुट्टी वेतन पाने की हकदार होगी। ऐसी छुट्टी की राशि छुट्टी खाते से नहीं काटी जाएगी, बल्कि सेवा पुस्तिका में अलग से प्रविष्टि की जानी चाहिए।" इस मामले में, अपीलार्थी ने संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से 01.08.2024 से 27.01.2025 तक, यानी 180 दिनों का मातृत्व अवकाश लिया था और अपीलार्थी कानूनी रूप से अपनी मातृत्व अवकाश अवधि का वेतन पाने की हकदार है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी के 180 दिनों के मातृत्व अवकाश का वेतन ब्याज सहित स्वीकृत करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में

एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य